न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 724/2023

अनवान : –

1. प्रहलाद पुत्र घड़सीराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर नोहर जिला हनुमानगढ।

– **वादी**

बनाम्

1. घड़सीराम पुत्र सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एन.टी.आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. रणजीत पुत्र घड़सीराम जाति माली निवासी चक 23 एन.टी.आर. तहसील नोहर
3. मीरा पुत्री घड़सीराम जाति माली निवासी चक 23 एन.टी.आर. तहसील नोहर
4. तारावती पुत्री घड़सीराम जाति माली निवासी चक 23 एन.टी.आर. तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व तारानगर जिला चुरू
7. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर
8. पंजीयक कार्यायल तारानगर जिला चुरू।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 15/04/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता स0 36/34 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 90/87 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खाता स0 117/1129 के खाता स0 117/1129 की कुल 14.9970 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के दादा सुरजाराम पुत्र नानूराम जाति माली साकिन चक 23 एनटीआर तहसील नोहर फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोकर कृषि भूमि उनके पुत्रगणो पर औद हुई तथा प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में सयुक्त रूप रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं. 36/34 की कुल तादादी 8.0960 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/5 हिस्सा भूमि आई। एवं वादी के दादा सुरजाराम पुत्र नानूराम ने अपनी आय से रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं. 90/87 की कुल तादादी 4.5540 हैक्टर भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि खरीद कर प्रतिवादी सं. 1 के नाम करवा दी इसी प्रकार से साहव तहसील तारानगर में रोही मौजा साहवा के खाता सं. [illegible] की कुल तादादी 14.9970 हैक्टर भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि खरीद कर प्रतिवादी सं. [illegible] नाम करवा दी। तथा उपरोक्त कृषि भूमि सयुक्त आय से खरीद की गयी भूमि है तथा पैतृक कृषि भूमि है। उपरोक्त [illegible] भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 10:59:49 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है इसलिए रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं. 36/34 की कुल तादादी 8.0960 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/5 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं. 90/87 की कुल तादादी 4.5540 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि एवं इसी प्रकार से साहव तहसील तारानगर में रोही मौजा साहवा के खाता सं. 117/1129 की कुल तादादी 14.9970 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण 2 ता4 प्रतिवादी सं. 1 के साथ ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है, तथा इसलिए वादी अपने हक व हिस्से की घोषणा करवापाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

अत वाद वादी घोषणा की जावे कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं. 36/34 की कुल तादादी 8.0960 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/5 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं. 90/87 की कुल तादादी 4.5540 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि एवं इसी प्रकार से साहव तहसील तारानगर में रोही मौजा साहवा के खाता सं. 117/1129 की कुल तादादी 14.9970 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण 2 ता 4 प्रतिवादी सं. 1 के साथ ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार वाद वादी डिक्री किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी स0 7 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 की स्वयं की खरीद शुदा भूमि है यानि की स्वयं अर्जित भूमि है उक्त भूमि पैतृक भूमि नही है एवं प्रतिवादी स0 1 के जीवनकाल में किसी का कोई हक हिस्सा नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य चित्रप्रति नामान्तरण रोही मौजा 23 एनटीआर नमान्तरण स0 326, न[illegible] रोही मौजा 23 एनटीआर खाता स0 36/34 ईएक्सपी–1, खाता स0 [illegible] जमाबंदी रोही मौजा साहवा खाता स0 1171/1129 ईएक्सपी–3 पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 10:59:49 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी के दादा सुरजाराम पुत्र नानूराम जाति माली साकिन चक 23 एनटीआर तहसील नोहर फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोकर कृषि भूमि उनके पुत्रगणो पर औद हुई तथा प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में सयुक्त रूप रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं. 36/34 की कुल तादादी 8.0960 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/5 हिस्सा भूमि आई। एवं वादी के दादा सुरजाराम पुत्र नानूराम ने अपनी आय से रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं. 90/87 की कुल तादादी 4.5540 हैक्टर भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि खरीद कर प्रतिवादी सं. 1 के नाम करवा दी इसी प्रकार से साहव तहसील तारानगर में रोही मौजा साहवा के खाता सं. 117/1129 की कुल तादादी 14.9970 हैक्टर भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि खरीद कर प्रतिवादी सं. 1 के नाम करवा दी तथा उपरोक्त कृषि भूमि सयुक्त आय से खरीद की गयी भूमि है तथा पैतृक कृषि भूमि है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है इसलिए रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं. 36/34 की कुल तादादी 8.0960 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/5 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं. 90/87 की कुल तादादी 4.5540 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि एवं इसी प्रकार से साहव तहसील तारानगर में रोही मौजा साहवा के खाता सं. 117/1129 की कुल तादादी 14.9970 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण 2 ता4 प्रतिवादी सं. 1 के साथ ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 की स्वयं की खरीद शुदा भूमि है यानि की स्वयं अर्जित भूमि है उक्त भूमि पैतृक भूमि नही है एवं प्रतिवादी स0 1 के जीवनकाल में किसी का कोई हक हिस्सा नही है वादी घोषणा करवा पाने के अधिकारी नही है वाद वादी खारिज किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 10:59:49 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण [illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद [illegible] अनुसार रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता स0 36/34 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि [illegible] 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 90/87 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि व रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खाता स0 117/1129 के खाता स0 117/1129 की कुल 14.9970 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता स0 36/34 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है उक्त भूमि पैतृक भूमि है क्योंकि पूर्व में वादी के दादा सुरजाराम के नाम दर्ज रही है जबकि उक्त भूमि के अलावा रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 90/87 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खाता स0 117/1129 के खाता स0 117/1129 की कुल 14.9970 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 की स्वयं अर्जित भूमि है अत पैतृक भूमि में वादी के हकों की घोषणा की जानी न्यायोचित है जबकि स्वयं अर्जित भूमि में वादी अपने हकों की घोषणा करवा पाने का अधिकारी नही है। अत वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 90/87 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....15/04/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 10:59:49 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 10:59:49 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 724/2023

अनवान : –

1. प्रहलाद पुत्र घड़सीराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. घड़सीराम पुत्र सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एन.टी.आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. रणजीत पुत्र घड़सीराम जाति माली निवासी चक 23 एन.टी.आर. तहसील नोहर
3. मीरा पुत्री घड़सीराम जाति माली निवासी चक 23 एन.टी.आर. तहसील नोहर
4. तारावती पुत्री घड़सीराम जाति माली निवासी चक 23 एन.टी.आर. तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व तारानगर जिला चुरू
7. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर
8. पंजीयक कार्यायल तारानगर जिला चुरू।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 724 सन 2023 निर्णय दिनांक 15/04/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं वकील प्रतिवादी श्रीम दन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 90/87 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 10:59:49 IST
Reason: SelfAttested